

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर) राजस्था

उपखण्ड नं. ....

मुकदमा नं. ....

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नं. व तारीख आ  
जो इस हुक्म  
तामील में जा

8/5/18

आज मह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैंप गयी मे मूलवाद के साथ पेश हुई। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूलवाद यक्षकारण की सहमति के आधार पर खारिज हो चुका है। इस प्रार्थना पत्र के अंग्रेजी चलाने का कोई अर्थ नही है। अतः प्रार्थना पत्र 212 R.T. Act इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। मिसल कुसल शुमार होडर नम्बर से कम की जाकर बाद तफ्तील दाखिल दफ्तर हो।

अध्याक्ष  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राजस्व लोक अदालत  
थानागाजी (अलवर) राज०